

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 342] No. 342] मई दिल्लो, शुक्रवार, ग्रक्तूबर 16, 1981/ग्राश्वाम 24, 1903

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 1981/ASVINA 24, 1903

इस भाग में भिन्न पृथ्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रसा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

यित मंत्रालय

(राजस्य विमाग)

व्यधिसूचना

नई विल्ली, 16 धन्तूबर, 1981

माय-कर

साठ काठ निठ 559(म) :-- माय कर करों से संबंधित वोहरें कराधान के परिवर्जन के लिए भीर विसीय भपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य सरकार भीर संयुक्त तंजानिया गणराज्य सरकार के बीच करार का, जो उपावक है, धनुसमर्थन कर दिया गया है भीर उक्त करार के धनुच्छेद 30 की भपेक्षा के भनुसार भनुसमर्थन लिखतों का भावान-प्रदान हो गया है।

धनः, केन्द्रीय सरकार, ध्रोयकर घिष्ठिनयम, 1961 (1961 का 43) की घारा 90 धीर कम्पनी (लाम) प्रतिकर घिष्ठित्यम, 1964 (1964 का 7) की धारा 24-क द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश करती है कि उक्त करार के सभी उपबंधों को भारत संघ में प्रभावी किया जाएगा।

उपानंध

[फा॰ सं॰ 501/18/73-एफ टी बी]

ए० रा० खोसला, ग्रवर सचिव

भाय पर करों के सम्बन्ध में बोहरे कराधान के परिहार भीर राजस्व भपवंचन को रोकने के लिए भारतीय गणराज्य की सरकार भीर संयुक्त संजानियां गणराज्य की सरकार के बीच

करार

मारतीय गणराज्य की सरकार तथा

संयुक्त तंजानियां गणराज्य की सरकार

के बीच

-ब्राय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार ग्रीर राजस्व ग्रपरंचन को रोकने के लिए

करार

भारतीय गणराज्य की सरकार तथा संयुक्त तंजानियां गणराज्य सरकार धाय पर करों के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार धौर राजस्थ धपबंचन को रोकने के लिए करार सम्पन्न करने की इच्छा से नीचे लिखे धनुसार सहमत हुई है:

(1621)

ब्रह्माय- T

करार का कल

सनुच्छेव I

व्यक्तिक क्षेत्र

यह करार उन व्यक्तियों पर आगू होगा जो किसी एक प्रथम दोमों संविदाकारी राज्यों के निवासी हैं।

ध्रमुञ्जेब- 2

- 1. यह करार जिन करों पर लागू होगा, वे हैं?
- (क) भारत के मामले में:
 - (1) ध्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) के मधीन लगाया गया धायकर जिसमें धाय-कर पर कोई ध्रधिमार भी शामिस है
 - (2) कम्पनी (लाभ) ध्रतिकर ध्रिधिनियम, 1964 (1964 का 7) के ध्रधीन लगाया गया ध्रतिकर : (जिसे इसके बाद 'भारतीय कर' कहा गया है)।
- (ख) तंजानियां के मामले में:

आयकर और आयकर मधिनियम, 1973 के भधीन भायकर समझा जाने वाला कोई झन्य कर (जिसे इसके बाद "तंजानियांई कर" कहा गया है)।

- 2. यह करार, किन्ही समझ्य भवना सारतः जैसे ही करों पर भी लागू होगा जो दोनों में से किसी भी संविधकारी राज्य द्वारा, इस भनुष्केद के पैरामाफ 1 में अस्लिखित करों के मितिरिक्त भवना उनके स्थान पर, वर्तमान करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख के बाद लगाये गए हों।
- 3. प्रत्येक वर्ष के भ्रम्त में, संविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी भ्रमने-भ्रमने उन कराधान कामूनों में किये गये उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से एक क्सरे को भ्राधिस्थित करेंगे जो इस करार के विषय हैं और संगत भ्राधिन्यमनों भीर विनियमों की प्रतियां भेजेंगे।

ब्रह्माय- II

परिमाषाएं

धनुच्छेंद- 3

सामान्य परिमावाएं

- 1. इस करार में अब तक संदर्भ से अन्यया अपेक्षित हो:
- (क) 'भारत' शब्द से शिक्षप्रेत है बारत का खेत और उसमें प्रादेशिक समुद्र भीर उसके ऊपर धाकाशी केल तथा प्रादेशिक समुद्र, महा-द्वीपीय जल सीमा, विशिष्ट प्राधिक केल और शब्द समुद्री केल प्राधिनयम, 1976 (1976 का शिक्षित्यम संख्या 80) में उल्लि-खित कोई भी अन्य ऐसा समुद्री केल शामिल है, जिसमें भारत के कतिपय भ्रधिकार हों और उस सीमा तक उनमें इस मिश्रकारों का उसी प्रकार प्रयोग किया जा सकता है मानो वह समुद्री केल, भारत के राज्य केल का एक मान हो;
- (था) "तंजानियां" शब्द से प्रभिन्नेत है संयुक्त तंजानियां गणराज्य ग्रीर उसमें तंजानियां के प्रावेशिक सभुद्र से बाहर वह क्षेत्र भी शामिल है जो प्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के प्रनुसार, महाद्वीपीय जल सीमा के सम्बन्ध में तंजानियां कानून के प्रधीन ऐसे क्षेत्र के रूप में निविष्ट किया गया है प्रथवा किया जा सकता है, जिस पर प्राइतिक संसाधनों को खोज निकालने तथा उनकी

- जपयोग में साने के लिए तंजानियां प्रपत्ने प्रकृ सत्ता सम्पन्न प्रक्रिकारों का प्रयोग कर सकता है;
- (ग) "संविधाकारी राज्य" घोर "दूसरे संविधाकारी राज्य" शब्दों से, संदर्भ की घपेक्षा के धनुसार भारत घषवा तजानिया धिमिप्रेत है;
- (घ) "कर" सम्बद्ध से संदर्भ की घपेक्षा के घनुसार, भारतीय कर ध्रधवा तंजानिया का कर घिमप्रेत हैं किन्तु इसमें ऐसी कोई रक्तम भामिल नहीं होगी जो उन करों के सम्बन्ध में ऐसी किसी जूक ध्रधवा मूल के सम्बन्ध में देय हो जिन पर यह करार लागू होता है घथवा जो ऐसे धर्यंत्रण्ड की रक्तम हो जो उन करों के सम्बन्ध में लगाया गया हो;
- (क) 'व्यक्ति' शब्द में वे व्यव्टि, कस्पनियां ग्रीर सभी श्रम्य सक्ताएं शामिल है जिन्हें अपने अपने संविदाकारी राज्य में लागू करा-श्रान कानूनों के अश्रीन कर योग्य एककों के रूप में समझा जाता है;
- (च) 'कम्पनी' शब्य से कोई भी ऐसा निगमित निकाय मध्या कोई इकाई मिमिप्रेत है जो अपने-अपने संविदाकारी राज्य के लागू कराधान कानूनों के भन्तर्गत कम्पनी के रूप में मानी जाती है;
- (छ) 'एक संविदाकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे संविदाकारी राज्य का उद्यम' मन्दों से क्रमणः संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम मीग्रोत है ;
- (ज) 'सक्षम प्राधिकारी' शब्ब से घिषप्रेत है, मारत के मामले में, केन्द्रीय सरकार का विल मंद्रालय (राजस्व विधाग) भौर लंजानियां के मामले में विल भंदी घथया उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;
- (झ) "राष्ट्रिकों" गब्द से भमिप्रेत है;
 - (1) संविदाकारी राज्य की राष्ट्रीयता धारण करने वाले सभी व्यक्टि;
 - (2) सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारियां भौर संस्थाएं जो संविदाकारी राज्य के प्रवृत्त कानून से इस प्रकार भपनी हैसियत प्राप्त करते हैं।
- 2. संविदाकारी राज्यों में से किसी एक द्वारा इस करार के उपबन्धों के प्रवर्तन में किसी भी पद का, जो यहां परिभाषित नहीं हुमा हो, संवर्ष की ख्रत्या ध्रपेक्षा नहीं होने पर, वही ध्रपे होगा जो उस राज्य के उन करों से समबन्धित कानूनों के ध्रन्तगैत होता है जो इस करार के विषय है।

धनुक्छेब ४

पार्थिक पश्चिवास

- इस करार के प्रयोजन से, "संविधाकारी राज्य का निवासी" शब्दों से प्रथिप्रेत, ऐसा कोई भी ध्यक्ति, जो उस राज्य के कानून के धनु-सार, धपने प्रक्षिवास, निवास, प्रवन्ध का स्थान धथवा इसी प्रकार के किसी प्रन्य कसीटी के कारण उसमें कर जगने योग्य है।
- 2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के कारण, कोई व्यक्टि दोनों संवि-शकारी राज्यों का निवासो हो, तो इस करार के प्रयोजनों के लिये उसकी निवासी हैसियत निम्नलिखित नियमों के प्रनुसार निविचत की जायगी :--
 - (क) वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी मामा आयगा अहा उसका स्थायी निवास-गृह हो । यदि उसका दोनों संविदाकारी राज्यों में स्थायी निवास-गृह हो हो तो वह उस संविदाकारी राज्य

- का निवासी माना जायगा , जिसके साथ उसके व्यक्तिगत और धार्थिक सम्बन्ध वनिष्ठतर हैं (जिसे इसके बाद 'महस्वपूर्ण हिसों का केन्त्र' के रूप में उस्लेख किया जायेगा) ;
- (ष) यदि उस संविदाकारी राज्य का, जिसमें उसके महत्वपूर्ण हिसीं का केन्द्र है, निश्वय नहीं किया जा सकता हो प्रथवा यदि उसका किसी भी संविदाकारी राज्य में स्थायी निवास-गृह नहीं हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगां जिसमें उसका व्यावहारिक भावास हो ;
- (ग) यदि उसका व्यायहारिक प्रावास संविवाकारी दोनों राज्यों में है प्रयवा इनमें से किसी भी राज्य में नहीं है, तो वह उस संविदा-कारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसका वह राष्ट्रिक है:
- (म) यि वह दोनों संविदाकारी राज्यों का राष्ट्रिक है प्रथम उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है, तो संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमित द्वारा इस प्रथन का निर्णम करेंगे।
- 3. जहां व्यष्टि से भिन्न कोई व्यक्ति , पैराग्राफ 1 के उपबंधों के प्रमुसार दोनों संविदाकारी राज्यों का नियासी हो, तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जायेगा जिसमें उसका वास्तविक प्रवस्त्र है।

ध्रमुच्छेब 5

स्थामी स्थापन

- इस करार के प्रयोजन के लिए, "स्थायी स्थापन पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान मिन्नित है, जहां उद्यम का कारोबार सम्पूर्णत: ग्रथवा मंगतः चलाया जाता है।
 - 2. "स्थायी स्थापन" पद में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) प्रभम्ध का स्थान ;
 - (ख) शाखा;
 - (ग) कार्यालय ;
 - (ध) कारखाना ;
 - (ड) कर्मशाला
 - (च) चान, खवान, तेल का क्षेत्र भथवा प्राक्कतिक संसाधनीं के निष्कर्षण का मन्य स्थान ;
 - (छ) फार्म, बागान धथवा ग्रन्य स्थान जहां कृषि, जंगलात, बागान धथवा सम्बन्धित कार्यकलाप चलाये जा रहे हों;
 - (ज) भवन स्थल भथवा निर्माण भयवा सामृद्दिक परियोजना भथवा उसके सम्बन्ध में पर्यवेक्षण कार्यकलाप, जहां इस प्रकार का स्थल, परियोजना भयवा पर्यवेक्षण कार्यकलाप छः महीने से भिक भविभ के लिए चलाये जाते हों।
- "स्थायी स्थापन" पद में निम्निसिखित को शामिल नहीं माना जायेगा:
 - (क) उद्यम के माल प्रथवा पण्यों के केवल भण्यारण प्रथथा प्रदर्शन केप्रयोजनार्थं सुविधामीं का प्रयोग;
 - (क्षा) उद्यम के माल प्रथवा पण्यों के केवल भण्डारण अथवा प्रवर्शन के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना ;
 - (ग) श्राष्य उद्यम द्वारा केवल प्रतिलिपि तैयार करने के प्रयोजनार्य उद्यम के माल श्रथवा पर्थ्यों का स्टाक रखना;

- (ध) उद्यम के लिए माल अथवा पण्यों के केवल ऋप अथवा सूचना एकत करने के प्रयोजनार्थ कारीबार के नियत स्थान का अतु-रक्षण :
- (ब) उद्यम के व्यापार प्रयवा कारोबार में विज्ञापन, सूजना देने प्रयवा वैज्ञानिक धनुसंघान कार्यों के धनन्य प्रयोजनार्थ जो प्रारंभिक भ्रयवा सहायक किस्स के हों, कारोबार के नियत स्थान का भनुरक्षण ।
- 4. ग्रन्य संविद्याकारी राज्य के उद्यम के लिए ग्रथन उद्यम की भीर से किसी संविद्याकारी राज्य में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति औ स्वयंत्र हैंसियत के ग्रीमकर्त्ता से भिन्न हो और जिस पर पैराग्राफ 5 के उपवन्ध लागू होते हों - प्रयमोक्त राज्य में उस उद्यम का स्थायी स्थापन माना जायेगा, यदि:
 - (i) बहु उस राज्य में उस उद्यम के लिए अथवा उद्यम की धोर से सर्विदा करने का प्राधिकार रखता है घौर उसका नियमित रूप से प्रयोग करता है, जबकि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पच्चों के क्रय तक ही सीमित नहीं हो; अथवा
 - (ii) वह प्रथमोक्त संविदाकारी राज्य में, उस उद्यम के माल अथवा पण्यों का ऐसा स्टाक प्रायः रखता है, जिसमें से वह उस उद्यम की ग्रोर से नियमित रूप से शार्डरों की पृति करता है।
- 6. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का ग्रन्य संविदाकारी राज्य में माल इस कारण से स्थायी स्थापन नहीं माना जायेगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी दलाल, सामान्य कमीशन एजेंट ग्रथवा स्वतन्त्र हैिसयत बाले किसी ग्रन्य एजेंट के माध्यम से कारीबार करता है, जहां ऐसे ध्वित्र ग्रपना कारीबार का काम सामान्य रूप से कर रहे हों। किस्तु, जब इस प्रकार के एजेंट के कियाकलाप उस उद्यम की घोर से पूर्णरूप से ग्रथवा लगभग पूर्णरूप से किये जाते हैं तो उसे इस पैराग्राक के ग्रथं में धन्तर्गत स्वतन्त्र हैिसयत का एजेंट महीं माना जायेगा।
- 6. इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जो संविदाकारी राज्यों में से एक की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती है, घयवा उसके द्वारा नियंत्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है धथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में (बाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से घयवा धन्यथा) व्यापार घथवा कारीबार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्थतः दूसरी कम्पनी का स्थायी स्थापन कहीं बन जायेगी।
- 7. किसी संविद्याकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविद्याकारी राज्य में स्थायी स्थापन माना जायेगा यदि वह दूसरे संविद्याकारी राज्य में ऐसा कारोबार चलाता है जिसमें लोक मनोरंजनकर्ताओं (जैसे रंग-मंत्र, चलचित्र, रेडियो प्रयदा टेलीविजन कलाकारों और संगीतकों) भ्रथवा खिलाड़ियों की संवार्ये प्रदान करना शामिल हो; जब तक कि ऐसी सेदाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में उद्यम के प्रथमोक्त संविद्याकारी राज्य की सरकार की राजकीय निधियों से प्रत्यक्षतः प्रयत्न प्रप्रतः प्रथंवा पर्याप्त कप से सहायता नहीं दी जाती है।

अध्याय-III

धाय का कराधान

अनुष्छेद– ६

श्रम्भल संपन्ति से साय

 श्रचल सम्मित्त से ग्राय पर उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जाएगा जिसमें ऐसी सम्मित्त स्थित हो।

- 2 'प्रचल सम्मित्त' शब्दों की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य की विधि भीर व्यवहार के अनुसार दी जाएगी, जिसमें सम्बन्धित सम्पत्ति स्थित हैं। इस पद में किसी भी हालत में थे शामिल होगे प्रचल सम्मित के उपसाधन के रूप में सम्मित्त, कृषि भीर वन-सम्मित में प्रयुक्त पशुधन तथा उपस्कर, ऐसे प्रधिकार जिन पर भू-सम्मित्त सम्बन्धी सामान्य कानून के उपजन्ध लागू होते हो, प्रचल सम्मित्त को भोगने के प्रधिकार, खनिज भण्डार, तेल-कृष, खवान तथा प्राकृतिक ससाधनों के निकर्षण के प्रस्य स्थानों का सचलन-प्रधिकार के प्रतिकल के रूप में परिवर्तनीय प्रथवा नियत प्रदायिगयों के प्रधिकार । पीत तथा विमान प्रचल सम्मित्त नहीं माने जायेंगे ।
- 3 पैरामाफ 1 के उपबन्ध, भ्रमल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रयोग से, किराए पर देने भ्रमवा किसी भ्रम्य प्रकार के प्रयोग से होने वाली भ्राय पर लागू होने।
- 4 पैराग्राफ 1 भीर 3 के उपबन्ध किसी उद्यम की व्यावसायिक सेवाभी के निष्पादन के लिए इस्तेमाल में आने वाली श्रवल सम्पत्ति से होने वाली भ्राय पर भी लागू होगे।

सनुष्केष-१

कारोबार से लाभ

- 1 एक संविधाकारी राज्य का उद्यम, यदि दूसरे सविधाकारी राज्य मे, वहां स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार चलाता हो, तो तो उस उद्यम के लाभ केवल उसी सविधाकारी राज्य में कराधेय होने। यदि उद्यम पूर्वोक्त प्रकार से कारोबार कर रहा हो तो उद्यम के लाभो पर उस दूसरे संविधाकारी राज्य में कर लगाया जा-सकेगा परन्तु केवल उतने ही लाभो पर जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकते हैं।
- 2 यदि एक संविद्याकारी राज्य का कोई उद्याम, जिसका संविद्याकारी राज्य मे स्थायी स्थापन है जैसे ही भ्रथवा उसी प्रकार का माल भ्रभवा वण्य बेचता है जैसी कि स्थायी स्थापन द्वारा बेची जाती है भ्रथवा वैसी ही भ्रथवा उसी प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है जैसी स्थायी स्थापन करता है, सो इस प्रकार के कियाकलापो से होने वाले लाभो को तब स्थायी स्थापन के कारण होना माना जाएगा जब तक कि उद्यास यह सिद्ध नहीं करता है कि ऐसी विकी भ्रथवा सेवाएं स्थायी स्थापन के कियाकलाप के कारण नहीं मानी जा सकती है।
- 3 जहां एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में, बहां स्थित कियी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, वहां प्रत्येक सिवाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापन के कारण उसको उस लाभ का होना माना जायेगा जिनके प्राप्त होने की तब अपेका रहनी है, जब वह, उन्हीं अथवा वैसी ही अथस्था में अधीन, उन्हीं अथवा वैसे ही कार्यों में सभा हुआ स्वतन्त्र सथा अलग उद्यम होता, और जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णत स्वतन्त्र रूप से अथवहार करता होता। किसी भी अवस्था मे, जहां स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभो की सही रकम निर्धारित नहीं की जा सकती हो अथवा उसका पता लगाना बहुत ही कठिन हो, तो स्थायी स्थापन के कारण हुए माने जा सकने वाले लाभो का अनुमान उपमुक्त आधार पर लगाया जाए।
- 4 जहां किसी संविद्याकारी राज्य मे, उद्यम के कुल लाभों को उसके विभिन्न भगों के प्रति भ्रनुभाजन के माधार पर, किसी स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को निश्चित करने की प्रया हो, वहां पैरा-भ्राफ 3 की कोई भी व्याख्या उस सविद्याकारी राज्य को ऐसी यथा रूढ़ि प्रभाजन पद्धति से करप्लगने वाले लाभों को निश्चित करने से निर्धारित नहीं करेगी; तथापि भ्रमनायी गई प्रभाजन पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के भ्रमुसार होगा।

- 5 किसी स्थायी स्थापन के काशों के निर्धारण में उन व्ययों को कटौंतियों की स्वीकृति दी जायेगी जो स्थायी स्थापन के कारोबार के प्रयोजनों के लिए किए गए हों घीर उनमें इस प्रकार किए गए कार्यभालीय तथा
 सामान्य प्रशासनिक व्यय शामिल रहेगे चाहे वे उस राज्य में किए गए
 हो जहा- स्थायी स्थापन स्थित है घथवा घन्यज्ञ, किस्तु इसमें वह व्यय
 शामिल नहीं हैं जिनकी उस राज्य के कानून के धनुसार उस राज्य के
 किसी उद्यम द्वारा कटौती किये जाने की धनुमति नहीं होगी।
- 6 कोई लाभ केवल इस कारण स्थायी स्थापन को कुए नहीं माने जायेंगे कि उस स्थायी स्थापन ने उद्यम के लिए माल अथवा पव्य वस्तुएं खरीबी है।
- 7 पूर्ववर्दी पैराप्राफो के प्रयोजनों के लिये स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों को तब तक उसी प्रदान से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जागगा जब तक कि उसके विरुद्ध कीई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण न हो।
- 8. 'कारोबार से लाभ' पद का धर्य चलाए जा रहे कारोबार ने उद्यम द्वारा प्राप्त धाय हैं; किन्तु इसमें किराया, रायल्टी (जिसमें मिनेमा फिल्मो मयवा टेलीविजन के वीडियो टेप के सम्बन्ध में किराया प्रथवा रायल्टी शामिल हैं) तकनीकी सेवाधों के लिए फीस, प्रबन्ध ध्यय ध्यवा तकनीकी ध्यवा धन्य कार्मिकों की सेवाधों की व्यवस्था करने के लिए पारिश्रमिक ध्यवा फीस, ब्याज लाभांग, पूंजीगत लाभ श्रमिक के लिए पारिश्रमिक ध्यवा ध्यवित्यत सेवाएं ध्यवा पोतो ध्यवा वायुयानों के संचालन से होने वाली ग्राय भी शामिल हैं।

ब्रनुक्छेर-४

विमाम परिवहन

- 1 एक संविदाकारी राज्य के उद्यम को मन्तर्राष्ट्रीय यातायात भे विमान परिवहन से प्राप्त लाभो पर कर उस संविदाकारी राज्य मे ही लगाया जायेगा जिसमे उद्यम का प्रभावी प्रबन्ध का स्थान स्थित है।
- 2 इस धनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के उपबन्ध, सविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा किसी संयुक्त विमान परिवहन संचालन प्रथम प्रन्त-रिष्ट्रीय संचालक एजेंसी मे मूल सेवा मे भाग लेने से प्रन्तरिष्ट्रीय यातायात में वायुयान संचालन से होने वाले लाओ के भाग पर भी लागू होगे।
- 3 पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिये, झन्तर्राष्ट्रीय यातायात मे वायु-यान संचालन से प्रत्यक्षत सम्बद्ध निधियो पर ब्याज को ऐसे वायुयान के सचालन से होने वाली द्याय के रूप मे माना जायेगा धौर ध्रनुष्छेद 12 के उपबन्ध, इस प्रकार ब्याज के सम्बन्ध मे लागू नहीं होगे।

प्रमुच्छेर- ८

जहाजराती

- 1 संविवाकारी राज्यों में से एक राज्य के उद्यम को तूसरे संविदा-कारी राज्य से प्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात मे पोत परिवहन से हुई छाय पर उम तूसरे संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा, लेकिन ऐसी छाय पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य मे प्रभार्य कर की उस कर की 50 प्रतिशत के बराबर रकम में से घटा विया जायेगा।
- 2 इस अनुरुष्टेव के पैराग्राफ 1 के प्रयोजनों के लिए पोती के संवालन से दूसरे सिवंदाकारी राज्य से प्राप्त ग्राय का ग्राय उस दूसरे सिवंदाकारी राज्य से जलपोतों द्वारा भेजे गए ग्राप्तियों, आक, पशुधन भ्रथवां माल को ले जाने से होने वाली ग्राय से होगा।
- 3 पैराग्राफ 1 तटवर्ती बाताबात के परिणामत उत्पन्न होने वाले भाना पर प्रामृत्यहा होगा।

सनुष्छेद- १ ०

संबद्ध उपक्रम

अहा

- (क) एक संनिदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे सविदाकारी राज्य के उपक्रम के प्रथम्ब, नियन्त्रण प्रथवा पूंजी में, प्रस्थक्षतः भ्रयका ग्रप्तस्यक्षतः भाग लेता है, ग्रथवा
- (ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम धीर दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध, नियंक्रण ध्रथवा पूंजी में प्रस्यक्षतः ध्रयवा अप्रत्यक्षतः भाग लेसे है,

भीर दोनों में से किसी भी भ्रवस्था में, दोनों उपकमों के बीच उनके बाणिज्यिक प्रयंवा जित्तीय सम्बन्धों में ऐसी मार्ते रखी भ्रथवा लगाई आती हैं, जो बैसी मार्तों से भिन्न हैं, जैसी स्वतन्त्र उद्यमों के बीच रखी जाती है, वहां ऐसा कोई लाभ जो उन मार्तों के न होने की हालत में उन उचमों में से एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता किन्सु उन मार्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकेगा भीर बे तदनुसार करायेय हो सकेंगे।

ग्र**मुच्छेद-** 1 1

लामारा

- ओ कम्पनी एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, उसके द्वारा दूसरे सविदाकारी राज्य के निवासी को प्रवाकिये गये लाभांश उस दूसरे राज्य में कराधेय होंगे।
- 2. किन्तु इस प्रकार के लाभांश उस संविदाकारी राज्य में भी कराधेय होगे जिसकी लाभांश ग्रदा करने वाली कम्पनी निवासी है, ग्रौर यह कर उस राज्य के कानून के श्रनुसार लगाया जायेगा, किन्तु इस प्रकार लगाये जाने वाले कर की रकम निम्नलिखित से श्रिष्ठक नहीं होगी:——
 - (क) लाभांशों की सकल रकम का 10 प्रतिमत, यदि प्राप्तकर्त्ता एक ऐसी कम्पनी है जो लाभांगों की प्रदायणी की तारीख के तत्काल पूर्ववर्ती छः महीनों की प्रविध में लाभाशों की प्रदायणी करने वाली कम्पनी के कम से कम 10 प्रतिमत शेयरों का स्वामित्व रखती हो;
 - (च) भ्रन्य सभी मामलों में लाभाशों की सकल राशि का 15 प्रतिशत।
- 3 इस धनुच्छेव में यथा-प्रयुक्त "लाभांगों" पद का धिमप्राय, शेयरों प्रथवा लाभों में भागीवारी के अन्य धिकारों से, जो ऋण -वावों के सम्बन्ध में न हों, प्राप्त भाय से तथा अन्य निगमित धिकारों से प्राप्त है ऐसी भाय से हैं जो शेयरों अथवा किसी अन्य मद से होने वाली धाय में सम्मिलित हो और जो उस संविदाकारी राज्य करीक्षान कानून द्वारा, जिसकी वितरण करने वाली कम्पनी एक निवासी है, कम्पनी का लाभांश प्रथवा वितरण समक्षा जाता है।
- 4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे यिंद लाभांग प्राप्त करने वाला, जो एक संविवाकारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यापार करता है जिस की, लाभांज प्रवा करने वाली कम्पनी, वहां स्थित एक स्थामी संस्थापन के माध्यम से, निवासी है प्रयद्मा वह कम्पनी उस राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से उस दूमरे राज्य में व्यवसाय सम्बन्धी सेवाएं निष्पन्न करती है भौर जिस धारिता के बारे में व्यवसाय सम्बन्धी सेवाएं निष्पन्न करती है भौर जिस धारिता के बारे में लाभांशों की घवायमी की जाती है, वह इस प्रकार के स्थायी संस्थापन प्रथवा निश्चित स्थान से प्रभावी कप से सम्बन्धित है। ऐसे मामले में, प्रमुच्छेद 7 प्रथवा प्रमुच्छेद 16, जैसा भी मामला हो, के खपबन्ध लागू होंगे।

5. जहां कोई कम्पनी, जो एक संविदाकारी राज्य की निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा भाग प्राप्त करती है, वहां कम्पनी द्वारा उन व्यक्तियों को दिये गये लाभाशों पर जो उस दूसरे राज्य के नि-वासी महीं है, उस दूसरे राज्य में कोई कर नहीं लगाया जायगा अथवा कम्पनी के भवितरित लाभो पर भवितरित लाभ-कर की किस्म का कोई कर नहीं लगाया जायगा, बाहे दिया गया लाभाश अथवा अवितरित लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः उस दूसरे राज्य में उत्पक्ष होने वाले लाभ अथवा आय के रूप में ही हो।

धमुच्छेव-12

स्याज

- 1 एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को झवा किये जाने थाले ब्याज पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जायेगा।
- 2. किन्तु, इस प्रकार के क्याज पर उस संविधाकारी राज्य में भी मीर उस राज्य के कानून के मनुसार कर लगाया जायेगा जिस राज्य में यह मजित- श्लोता है, किन्तु इस प्रकार प्रभारित कर की रकम ब्याज की सकल राशि के 12 1/2 प्रतियात से मिधक नहीं होगी।
- 3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के बावजूद, एक संविदाकारी राज्य में भर्जित होने वाले भ्रथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार को भ्रथवा उसके स्थानीय प्राधिकरण को उस दूसरे संविदाकारी राज्य के सैण्ट्रल बैंक भ्रथवा उस सरकार भथवा स्थानीय प्राधिकरण की पूर्ण स्वामित्व वाली किसी एजेंसी को प्रदत्त क्याज पर प्रथमोल्लिखित संविदाकारी राज्य के कर से छूट दी जायेगी।

संविदाकारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारी, परस्पर सहमति से, किसी भी धन्य सरकारी संस्थान को निर्धारित कर सकते हैं जिस पर यह पैरा-ग्राफ लागु होता हो।

- 4. इस धमुच्छेब में यथा-प्रमुक्त "ब्याज" शब्द से, सरकारी प्रतिभूतियों, बन्ध-पत्नों धथवा ऋण पत्नों, धाहे वे बंधक द्वारा प्रतिभूत हों
 धथवा नहीं, धौर चाहे उनको लाभों में भागीवारी का प्रधिकार प्राप्त हो
 धथवा नहीं, धौर हर प्रकार के ऋण-दावों से प्राप्त धाय और साथ ही
 सभी धन्य ऐसी धाय से प्रभिन्नाय है, जो, जिस संविवाकारी राज्य में भाय
 खब्भूत हुई हो, उस राज्य के कराधान कानून के भनुसार, उधार दिये
 गये धम से प्राप्त धाय में समाविष्ट की गयी हो।
- 5. पैराप्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं शूंगें यदि ब्याज-प्राप्तकर्ता, संविद्याकारी राज्य का निवासी होने से दूसरे संविद्याकारी राज्य में जिसमें ब्याज उत्पन्न हुम्रा हो, उसमें स्थित किसी स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से, ब्यापार चलाता हो, श्रयवा उस दूसरे राज्य में, उसमें स्थित मिश्चित स्थान से स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं करता हो, धौर जिस ऋण वावे के बारे में ब्याज श्रदा किया गया हो वह इस प्रकार के स्थायी प्रतिष्ठान प्रथवा नियत स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो। इस प्रकार के मामले में प्रमुख्येव 7 प्रथवा प्रमृख्येव 16 के उपबन्ध, जैसा भी मामला हो, लागू होंगे।
- 6. किसी संविदाकारी राज्य में ब्याज भव्भुत हुआ माना जायेगा, यदि ब्याज भवा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उपमंग्रल, कोई स्थानीय प्राधिकारी प्रथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किन्तु. जहां ब्याज भवा करने वाले ध्यक्ति का, चाहे वह संविदाकारी राज्य का निवासी हो भथवा नहीं, संविदाकारी राज्य में इसका स्थायी प्रतिष्ठान है, जिसके सम्बन्ध में बहु ऋण लिया गया था जिस पर ब्याज की ग्रवायगी की गई है भीर इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी प्रतिष्ठान इतरा वहन किया जाता है तब वह ब्याज उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत माना जायेगा जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

7. जहां क्याज, घदा करने वाले तथा प्राप्तकर्ता के बीच, ध्रथवा उन वोनों के घीर किसी घन्य क्यक्ति के बीच, विशेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, घवा की गयी व्याज की रकम, उस ऋण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज की रकम घवा की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है, जिसके लिये इस प्रकार के सम्बन्ध नहीं होने की स्थिति में, घवा करने वाला और प्राप्तकर्ता के बीच सहमति हो गयी होती, वहां इस प्रनुच्छेद के उपबन्ध केवल भन्तिम विगत रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, घदायगी के मतिरिक्त माग पर, इस करार के भ्रम्य उपबन्धों का श्रनुपालन करने हुए, प्रत्येक संविद्याकारी राज्य के कानून के श्रनुसार कर लगाया जाएगा।

श्रमुक्छेच- 1 3

रामस्टिया

- एक संविदाकारी राज्य में उद्मूत होने वाली भीर दूसरे संविदा-कारी राज्य के निवासी को भवा की गयी रायस्टियों पर दूसरे राज्य में कर अगाया जा सकेगा।
- 2. किन्तु ऐसी रायिक्टियों पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा, जिसमें थे उद्भूत होती है, भीर उस राज्य के कानून के भनुसार, किन्तु इस प्रकार लगाया गया कर ऐसी रायिक्टियों की कुल रकम के 20 प्रतिशत से प्रधिक नहीं होगा।
- 3. इस अनुष्केव में यथाप्रयुक्त 'रायित्यां' गाव्य से साहित्यक, कलात्मक प्रया वैज्ञानिक कृतियों (जिनमें चलित्र फिल्में सथा रेडियों भ्रयान दूरवर्णन प्रसारण के लिए फिल्में ध्रयान टेर्पे भी ग्रामिल हैं), कोई पेटेन्ट, व्यापार-चिन्ह, विजाइन प्रयान माजल, प्लान, गुप्त कार्मूला प्रयान प्रतिकार के प्रतिकल के रूप में प्रयान प्रयोगिकिक, वाणिज्यिक ध्रयान वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए प्रथान प्रयोगिकिक, वाणिज्यिक ध्रयान वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए प्रथान प्रयोगिकिक, वाणिज्यिक ध्रयान वैज्ञानिक अनुभव से सम्बन्धित जानकारी के लिए प्राप्त किसी प्रकार को भ्रदायनी प्राप्तित है।
- 4. पैराप्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध उस हालत में लागू नहीं होंगे यदि रायल्टी प्राप्तकर्ता, जो एक संविद्याकारी राज्य का निवासी है भीर पूसरे संविद्याकारी राज्य में, जिसमें रायिल्ट्यां उद्भूत होती है बहा पर स्थित स्थामी प्रतिफल के माध्यम से व्यापार चलाता है भयवा उस पूसरे राज्य में वहां पर स्थित एक निर्धारित स्थान से व्यावसायिक सेवाएं करता है, तथा जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के बारे में रायिल्ट्यों की अवायगी की जाती है, वह उनत स्थामी प्रतिष्ठान भयवा निष्णित स्थान से कारगर रूप से सम्बन्धित है। ऐसे मामने में, अनुक्षेद 7 अथवा अनुक्षेद 16 के उपबन्ध, जैसी भी स्थित हो, लागू होंगे।
- 5. फिसी संधिवाकारी राज्य में रायिस्टियां उव्भूत हुई मानी जायेंगी यि रायस्टी शदा करने वाल। स्वयं संविवाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकरण प्रयमः उस राज्य का कोई निवासी हो परन्तु, जहां रायिस्टियां ग्रवा करने वाले व्यक्ति का, जाहे वह संविद्याकारी राज्य का निवासी ही भयमा नहीं एक संविवाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके सम्बन्ध में रायस्टी भवा की गयी थी थीर इस प्रकार की रायिस्टियां उस स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा उव्भूत हुई है, तब ऐसी रायिस्टियां उस संविवाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायेंगी, जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।
- 6. जहां, रायस्टी धरा करने वाले और प्राप्तकर्ता के बीच ध्रयमा उन दोनों के भीर किसी भ्रम्य व्यक्ति के बीच, विभेष प्रकार का सम्बन्ध होने के कारण, श्रदा की गयी रायस्टियों की रकम, उसके ऐसे इस्तेमाल, प्रधिकार ग्रयवा सूचना को स्थान में रखते हुए जिसके लिए वह रायस्टी भ्रदा की जाती है, उस रकम से बढ़ जाती है जिस के लिये इस प्रकार के सम्बन्ध न होने की स्थित में भ्रदा करने वाले भीर प्राप्तकर्ता के बीच

सहमति हो गयो होती वहां इस प्रमुख्छेद के उपबन्ध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर लागू होंगे। ऐसे मामले में, प्रदायगियों के प्रधिमाग पर इस करार के प्रस्य उपबन्धों का धनुपालन करते हुए, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कामून के धमुसार कर लगाया जायेगा।

ग्रमुक्छेद-14

पूंजीगत साम

- श्रवल सम्पत्ति के ध्रन्तरण से होने वाले लाभ, ध्रन् क्छैव 6 के पैरा-प्राफ 2 में यथा-परिभाषित, उस संविदाकारी राज्य में कराग्रेय हो सकेंगे जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है।
- 2. घल सम्पण्ति के धन्तरण से, जो उस स्थायी प्रतिष्ठान की क्या-पारिक सम्पत्ति के धंग के रूप में एक संविदाकारी राज्य के उद्यम की तरह पूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित है, धयवा किसी निश्चित स्थान से सम्बन्धित चल सम्पत्ति के धन्तरण से, जो एक संविदाकारी राज्य के निवासी को दूसरे संविदाकारी राज्य में व्यावसायिक सेवाधों के निव्यावन के प्रयोजनार्थ उपलब्ध है, होने वाले लाम पर, जिसमें ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान (अकेले घमवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ) घषधा ऐसे निधारित स्थान के धन्तरण से होने वाले लाभ भी शामिल हैं, उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।
- 3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के होते हुए भी, एक संविदाकारी राज्य के किसी उध्यम हारा ऐसे चल-पोतों तथा वायु यान के सम्तरण से जिन्हें एसा उद्यम झन्तर्राष्ट्रीय यातायात के भ्रन्तर्गत परिचालन करता है तथा इस प्रकार के जरु-पोतों तथा वायुवानों क संचालन में सम्बधित चल सम्पिश्ति से प्राप्त लाभ केवल उस राज्य में कराधेंय होगें।
- 4. संविधाकाशी राज्य के किसी निवार्त द्वारा, पैराग्राफ 1, 2 तथा 3 में उल्लिखित सम्पत्ति से भिन्न किसी सम्पत्ति के धन्तरण से प्राप्त लाभ केवल उसी राज्य में कराधे, होंगे।
- 5. 'ध्रस्तरण' मध्य का कर्य सम्पत्ति का विकय, विनियम, अन्तरण प्रथवा उसमें किसी भी अधिकार की समाप्ति अथवा अलग-अलग संविदा-कारी राज्यों में प्रवृत्त किसी भी कानून के अन्तर्गत उसका अनिवर्ध अधिप्रहण है।

धानुष्कर्वेद- 1 5

प्रबंध फीस

- एक संविवाकारी राज्य में उद्भूत होने काली भीर दूसरे संविवा-कारी राज्य के निवासी को भवा की गयी प्रबन्ध व्यवस्था भ्रयता वृत्ति स-बन्धी फीस पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा।
- 2. लेकिन इस प्रकार के प्रबन्ध प्रथा बृत्ति स-जन्धी फीसों पर उस संविदाकारी राज्य में जिसमें वे उद्भूत होती है, पर उस राज्य के कामून के घमुनार कर लगाया जा सकेगा किन्तु इस प्रकार लगाये गये कर की रकम प्रजन्ध प्रथा वृत्ति सम्बन्धी फीसों की सकल रकम के 20 प्रतिशत से प्रधिक गहीं होती।
- 3. इस मनुष्ठिय में यथाप्रयक्त "प्रवन्ध-व्यवस्था अथवा वृति-सम्बद्धी फीस के शब्दावली का अर्थ, अद । यभी करनें वाले व्यक्ति के किसी कर्मचारी से इत्तर अव्य व्यक्तियों को प्रवन्धकीय, तकनीकी अथवा परामर्णदायी किस्म की किन्ही सेंवामों के प्रतिकल के रूप में की जाने वाली किसी भी प्रकार की अदायगियां हैं।
- 4. पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे यदि प्रबन्ध भयवा वृत्ति-संबंधी फीस प्राप्त करने वाला, एक संविदाकारी राज्य होने के नाते, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें प्रबन्ध भयवा वृत्ति-संबंधी पीस उव्भत होती है, स्थित स्थायी प्रतिष्ठाम के माध्यम से, व्यापार करत

है प्रयम उस बूसरे राज्य में स्थित एक निश्चित स्थान से नृत्ति संबंधी सेवाएं करता है, भीर जिस प्रधिकार प्रथमा संपत्ति से संबद्ध प्रयम्ध भ्रयमा व्यवसाय-संबंधी फीस भ्रवा की जाती है, वह इस प्रकार से स्थायी प्रतिष्ठान प्रथमा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित है। ऐसे मामले में, धनुष्क्रेव 7 भ्रयमा प्रनुष्क्रेव 18, जैसी भी स्थिति हो, संबंधी उपबन्ध लागू होंगे।

5. प्रबन्ध प्रयेवा वृत्त संबंधी फीस संविवाकारी राज्य में उद्भूत हुई तब मानी जायेगी जब कि अदा करने वाला स्वयं वह संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-मंडल, कोई स्थानीय प्राधिकारी अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो। किंतु, जहां प्रबन्ध अथवा वृत्ति-संबंधी फीस अवा करने वाले व्यक्ति का, चाहे वह उस राज्य का निवासी हो अथवा नहीं एक संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी प्रतिष्ठान है जिसके संबंध में प्रबन्ध अथवा वृत्ति संबंधी फीस अथा की गयी थी और प्रवन्ध अथवा वृत्ति संबंधी ऐसी फीस इस प्रवा के स्थायी प्रतिष्ठान द्वारा वहन की जाती है तो ऐसी प्रबन्ध अथवा वृत्ति संबंधी फीस उस संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई मानी जायगी जिसमें वह स्थायी प्रतिष्ठान स्थित है।

6. जहां, प्रदा करने वाले तथा प्राप्त करने वाले के बीच प्रयक्षा उन दोनों तथा किसी तूसरे ध्यमित के बीच विशेष संबंध होने के कारण प्रवन्ध प्रथवा वृत्ति-संबंधी फीस की धदा की गयी रकम, उन सेवाओं को ध्यान में रखते हुए जिनके लिए फीस की प्रदायगी की गयी है, उस रकम से बढ़ जाती है जिसके बारे में, इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में, प्रदा करने वाला सथा प्राप्तकर्ती के बीच सहमति हो गई होती, वहां इस प्रमुख्छेद के उपवन्ध केवल ग्रंतिम विश्व रकम पर लागू होंगे। ऐसी स्थिति में, प्रदाकी गई रकमों के प्रधिक भाग, पर, इस करार के प्रस्य उपवंधों को ध्यान में रखकर, प्रत्येक संविदाकारी राज्य के कानूनो के धनुसार कर लगाया जायगा।

धनुष्क्रेव 16

स्वतन्त्र व्यक्तिगत सेवाएं

- 1. भ्रमुक्छेद 15 के उपबंधों के भ्रधीन एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, वृक्ति-संबंधी सेवाधों भ्रमवाइसी प्रकार के भ्रन्य स्वतंत्र कार्य-कलापों के संबंध में प्राप्त भाय पर कर केवल उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि:---
 - (क) ग्रापने कार्यकलापों के प्रयोजनों के निमिक्त उसे दूसरे संविधाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध न हो, जिस मामले में उस दूसरे राज्य में उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भृत हुई मानी जा सकती हो; श्रथवा
 - (च) वह माय के संगत वर्ष में कुल मिलाकर 183 दिन से मिषक की मविस मयेवा मविस्यों के लिए, भपने कार्यंकलापों के प्रयोजन के निमित्त, दूसरे संविदाकारी राज्य में उप-स्थित रहा हो भौर ऐसी स्थिति में उस दूसरे राज्य में उत्तनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा जो उस दूसरे राज्य में किये गये कार्यंकलापों के कारण उद्भूत हुई मानी जा सकती हो।
- 2. 'वृत्ति संबंधी सेवाए' शब्द में स्वतस्त्र वैज्ञानिक, साहित्यक, कलात्मक, ग्रीक्षणिक मथवा प्रशिक्षण संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों, वकीलों, इंजीनियरों, वास्तुकारों, वंत-चिकित्सकों तथा लेखाकारों के स्वतन्त्र कार्य-काप भी ग्रामिल है।

षनुष्छेव 17

पराध्यत वैयक्तिक सेवाएं

 मनुष्ठिच 18, 19, 20, 21, 22 तथा 23 के उपबंधों के अवीन एक सचिवाकारी राज्य के किसी निवासी को, नियोजन के संबंध में, प्राप्त देशन, मजुरी तथा धन्य इसी प्रकार के पारिश्रमिक पर कर केवस उसी राज्य में लग सकेगा जब तक कि उसका नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में नहीं हो। यवि नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में हो तो उससे प्राप्त पारि-श्रामिक पर उस दूसरे राज्य में कर लग सकेगा।

- 2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए मी, एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को, दूसरे संविदाकारी राज्य में नियोजन के संबंध में, प्राप्त पारिश्रमिक पर कर, केवल प्रथम उल्लिखित राज्य में ही लगेगा यवि
 - (क) प्राप्त कर्ता भाय के संगत वर्ध में कुल मिलाकर 183 दिन की भवधि भ्रथवा भवधियों के लिए व्रूसरे राज्य में मौजूद रहा है, भीर
 - (म) पारिश्रमिक की प्रवायगी ऐसे नियोजक द्वारा प्रथम उसकी प्रोर से को गई हो जो दूसरे राज्य का नित्रासी नहीं है, और
 - (ग) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी प्रतिष्ठान ध्यवं निश्चित स्थान हारा बहुन निक्या गया हो, जो कि उस नियोजक का दूसरे राज्य में हैं।

3. इस प्रमुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के हीते हुए भी, प्रन्तर्राष्ट्रीय यातायात में जलपीत पर प्रथवा वायुगान पर किये गये नियोजन के संबंध में पारिश्रमिक पर कर उससंविदाकारी राज्य में छग सकेगा जिस में उस उद्यम की प्रमायी प्रवन्ध व्यवस्था है।

ग्रनुष्छेव 18 निवेशक शुस्क

संविधाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निदेशक मंडल के एक सवस्य की हैसियल से, जो दूसरे संविधाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निदेश की फीस तथा इसी प्रकार की श्रवायिंग्यों पर उस दूसरे संविधाकारी राज्य में कर लग सकेगा।

भन्**ण्ठेव** 19

कलाकार भौर खिलाड़ी

1. धनुष्ठिव 16 सवा 17 के उपबंधों के होते हुए भी, लोक मनोरंजन-कर्ताघों (जैसे, थियेटर, चल-चित्र, रेडियो प्रथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार) धयवा खिलाड़ियों को घपनी हैसियत से भपने वैयक्तिक कार्यों से प्राप्त भाग कर उस संविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा जिसमें ऐसे कार्य किये हों:

किंतु ऐसी भाय पर उक्त संविद्याकारी राज्य में कर नहीं लग सकेगा यदि लोक मनोरंजनकर्ताओं ध्रयमा खिलाड़ियों को उस राज्य की यान्ना का ध्यय, प्रत्यक्षतः ध्रयदा ध्रप्रत्यक्षतः, दूसरे संविद्याकारी राज्य की सरकार की सार्वजनिक निधियों से पूर्णतः ध्रयदा पर्याप्तः, किया गया हो।

2. इस मनज्छेद के प्रयोजनों के लिए, 'सरकार' शब्द में दोनों संविदा-कारी राज्यों में से किसी भी संविदाकारी राज्य की राज्य-सरकार, राज-नीतिक उपमंडल, मणवा स्थानीय मणवा सांविधिक प्राधिकरण सम्मिलित माने जायेंगे।

धनुष्छेव 20

सरकारी कार्य

1. एक संविदाकारी राज्य की सरकार, द्वारा, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो उस राज्य का नागरिक है दूसरे संविदाकारी राज्य में सरकारी कार्य करने के लिए की गई सेवाओं के संबंध में मदा किसे गये पारिधामक पर (जो पेंशन नहीं है) कर केवल प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही अगेगा।

- 2. किसी भी संविद्यकारी राज्यकी सरकार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भ्रदा की भयी किसी भी प्रकार की पेंशन पर कर उस संविद्याकारी राज्य में लगाया आ सकेगा।
- 3. पेराग्राफ 1 तथा 2 के उपबन्ध, किसी भी संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजनार्थ चलाये जा रहे व्यापार के संबंध में की गई सेवाघों से संबंधित पारिश्रमिक तथा पेंशन पर लागू नहीं होगे।
- 4. इस मनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए, "सरकार" गब्द में दोनों संविदा कारी राज्यों की कोई भी राज्य सरकार ग्रयश स्थानीय भथवा सांविधिक प्राधिकरण भौर विशेष रूप से, भारतीय रिजर्व दैंक तथा बैंक भाफ संजानिया शामिल धोंगे।

प्रमुच्छेंद 21

गैर सरकारी पेशन एथम् वाधिकियां

- 1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा वृक्षरे संविदाकारी राज्य के स्रोतों से प्राप्त की जा रही किसी भी पेंशन (अनुकटेव 20 में जिल्लाखित पेंशन से भिन्न) प्रथवा व।पिकी पर कर केवल प्रथम-जिल्लाखित संविदकारी राज्य में लगाया जा सकता है।
- 2. "पैंशन" शब्द का धर्म उस नियत-कालिक भुगतान से है जो विगत समय में की गयी सेवाओं के प्रतिफल के रूप में प्रयवा सेवाओं के निष्पादन के दौरान शारीरिक चोट की क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त किया गया हो।
- 3, ''वाधिकी'' शब्द का धर्म उस उस्लिखित राशि से हैं जो धन भवना धन के मूल्य में पर्याप्त ध्रयना पूरे प्रतिफल के लिये, ध्रदायिग्यां करने के किसी दायित्व के भ्रधीन, जीवनपर्यन्त ध्रयना निर्निदिष्ट ध्रयना निश्चित समयानिध के बौरान उल्लिखित समय पर वैय होगी।

मनुष्छेव 22

विद्यार्थी एकम् प्रशिशुकु

- 1. विद्यार्थी अथवा व्यवसाय प्रशिक्षु को, जो एक संविदाकारी राज्य में जाने से तुरन्त पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा या और जो प्रथम उल्लिखित संविदाकारी राज्य में अनन्य रूपसे अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए उपस्थित है, निम्नलिखित के बारे में प्रथम उल्लिखित गसंविदाकारी राज्य में कर से छूट अपन होगी:
 - (क) उस प्रयम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा उसके भरण-पोषण, शिक्षा प्रथवा प्रशिक्षण के उद्देग्यों के लिए उसको किए गए भुगतान और
 - (का) उस प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में "पूर्ववर्ती वर्ष" प्रथम न्यां को वीराम जैसी भी स्थिति हो, नियोजन से प्राप्त परिलिख जो 10,000 रु० प्रथमा संजानिया की मुद्रा में उसकी समतुल्य राशि से घिषक हो, बधार्ते कि ऐसा मियोजन प्रत्यक्षतः उसके मध्ययनों से सम्बन्धित हो मथवा उसके भरण-पोषण के उद्देश्य से ग्रहण किया गया हो।
- 2. इस प्रमुच्छेष के प्रधीन प्राप्त होने वाले लाघों को केवल ऐसी समयावधि के लिए दिया जाएगा जो शिक्षा प्रयंवा लिए जा रहे प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए यथोचित रूप से प्रयंवा व्यावहारिक रूप से धावश्यक हो, परन्तु इस धनुष्छेव के लाभ किसी भी व्यक्ति को प्रथम-उल्लिखित संविदाकारी राज्य में धपने प्रथम धागमन की तारीख से लगातार तीन वर्ष से प्रधिक के लिए प्राप्त महीं होंगे।

समुच्छेब ३३ 🛊

प्राध्यापक ग्रीर ग्रध्यापक

- 1. कोई प्राध्यापक प्रथम भ्रष्ट्यापक जो एक संविदाकारी राज्य के किसी विश्व-विद्यालय में, भ्रथम उस संविदाकारी राज्य में किसी भ्रमु-मोदित भिक्षण संस्थान में भ्रष्ट्यापन भ्रथम शोध-कार्य करने भ्रथम दोनों उद्देश्यों के लिए उस संविदाकारी राज्य का दौरा करता है भौर ओ ऐसी दौरे के तुरुत पहले दूसरे संविदाकारी राज्य का निवासी है भ्रथम था, उसे ऐसे भ्रष्ट्यापन भ्रथमा शोध-कार्य के लिए प्राप्त होने वाली किन्हीं परिलिध्यों पर उस भवधि के लिए कर से छूट प्राप्त होगी जो उस संविदाकारी राज्य में उसके भ्रायमन की तारीख से 24 माह से भ्रधिक नहीं होगी।
- 2. यह धनुष्ठिव शोधकार्य से प्राप्त धाय पर लागू नहीं होगा यदि ऐसा शोधकार्य मुख्य रूप से किसी विशिष्ट व्यक्ति धथवा व्यक्तियों के निजी लाभों के लिए किया जाता है।
- 3. इस धनुष्केंद भौर धनुष्केंद 22 के उद्देश्यों के लिए कोई स्पक्ति किसी संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा यदि वह:---
 - (1) भारत के मामले में "पूर्ववर्ती वर्ष" में भौर
 - (2) तंजानिया के मामले में "झाय वर्ष" में, जिसमें वह दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करता है झयबा तुरन्त पहले के पूर्ववर्ती वर्ष" अथवा "झाय वर्ष" में जैसी भी स्थिति हो, निवासी है।
- 4. पैराग्राफ 1 के उद्देश्यों के लिए, "ग्रनुमोदित शिक्षण संस्थान" का गर्य उस संस्थान से हैं, जिस सम्बन्ध संविधाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में ग्रनुमीदित किया गया है।

प्रमुच्छेद 24

ग्राय जिसका स्थव्य क्य से उल्लेख नहीं किया गया

एक संविदाकारी राज्य के निवासी की घाय की जिन सवों का इस करार के पूर्ववर्ती धनुष्केदों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, भीर जिनके सम्बन्ध में उस पर उस राज्य में कर लगता है, उन पर केवल उसी राज्य में कर लगाया जाएगा।

ग्रध्याय IV

बोहरे कराधान के लिए प्रपाकरण के लिय प्रणाली

मनुष्छेद 25

बोहरे कराधान का परिहार

- इस करार में बनाए गए विपरीत प्रावधानों को छोड़ कर वोनों में से किसी भी एक राज्य में लागू कानून अपने-अपने संविदाकारी राज्यों में आय के कराधान को शासित करते रहेंगे।
- 2. (क) तंजानिया के कानूनों के अन्तर्गत, ग्रीर इस करार के उप-बन्धों के अनुसार प्रत्यक्षतः अयवा कटौती द्वारा भारत के किसी निवासी की तंजानिया में स्थित साधनों से प्राप्त आय पर भारत और तंजानिया दोनों में कर लगाया गया है, तो देय तंजानिया के कर की रक्षम को, उक्त आय के संबंध में देय भारतीय कर के प्रति जमा मानने की स्वीकृति दी जायगी, बगर्ते कि ऐती जमा (ऐसी जमा मानने से पूर्व यथासंगणित) भारतीय कर की उस रकम से अधिक नहीं हो, जो तंजानिया में स्थित साधनों से प्राप्त धाय के अनुकृष हो, लेकिन जहां ऐसा निवासी एक ऐसी कंपनी है जिसे भारत में अधिकर अवा करना है, वहां उपर्युक्त जमा

रकम प्रथम बार कन्पनी द्वारा भारत में श्रायकर के प्रति देग मानी जाएनी, श्रौर <mark>पोष रकम यदि कोई हो तो वह उसके द्वारा</mark> भारत में श्रदा किए जाने वाले श्रतिकर के प्रति जमा मानी जाएगी।

- (ख) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में उहिलखित जमा के प्रयोजन के लिए, 'लंजानिया का वेयकर' शब्द में निस्निलिखित को छोड़कर ऐसी कोई भी रकम णामिल मानी आयगी जो किसी भी वर्ष के लिए तंजानिया के कर के रूप में देय रही हो:--
 - (1) आयकर श्रीधिनियम, 1973 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 के पैरा 1 के आधीन मंजूर फिए गए ज्याज से कोई छूट; अथवा
 - (2) प्रायकर प्रधिनियम, 1973, का द्वितीय प्रनुसूची के पैरा 24, 25 तथा 26 के प्रधीन मंजूर की गई कोई पृंजी-निवेण कटौती; प्रथवा
 - (3) ग्रायकर की निम्मतर निगम दर जियकी भ्रायकर ग्रिधितियम, 1973 की तृतीय अनुसूची के पैरा 4 (क) में व्यवस्था है. ग्रंथवा
 - (4) श्रत्य कोर्ड भी उपवन्ध जिन्हें श्राधिक विकास के उद्देश्यों के लिए बाद में कर की किसी छुट श्रथवा कटौती की मंजूर करने के लिए अधिनियमित किया गया हो और जिनके लिए संधिदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी गहमत हों।
- 3. (क) भारत के फानृनों के अन्तर्गत, और इस करार के उप-बन्धों के अनुसार में प्रत्यक्षतः अथवा कटौती द्वारा तंजानिया के किसी निवासी की भारत में स्थित साधनों से प्राप्त आय पर भारत और तंजानिया दोनों में कर सगाया गया है, तो देय भारतीय कर की रकम को, उकत आय के सम्बन्ध में देय लंजानिया के कर के प्रति जंमा मानने की स्वीकृति दी जायगी वागर्गे कि जमा की रकम (ऐसी जमा स्वीकृत किये जाने में पूर्व यथा संगणित) तंजानिया के कर की उस रकम से अधिक नहीं हो, जो भारत में स्थित साधनों से प्राप्त श्राय के श्रनस्य है;
- (ख) उपर्युक्त उप-धरा (क) में उल्लिखित जमा के प्रयोजनों के सिये 'देय भारतीय कर जब्द'' में ऐसी कोई भी रकभ शामिल की गयी मान की जायेगी जिसके द्वारा भायकर श्रीधित्तयमः 1961 की निक्त-लिखित धाराकों में निर्धारित किए गए विशेष शोल्माहन उपायों के सन्मार भारतीय कर घटा दिया गया है:—
 - (1) धारा 10 (4) जो किसी प्रतिवासी को, भारत सरकार हारा श्रिष्टमूचित किसी प्रतिभूति पर देथ ब्याज पर कर से छ्ट है;
 - (2) ध्राणा 10 (4क) -- जो श्रानिवासी (परराष्ट्रिक) लेखे की ज्यामी पर किसी श्रानिवासी को देश आणि पर कर से छूट के बारे में है;
 - (3) झारा 10 (15) (4)---जिसका सम्बन्ध निम्नलिखित को कर छूट देने से हैं: (क) किसी प्रनिवासी द्वारा भारत सरकार प्रथवा वहां के स्थानीय प्राधिकरण को उद्यार दिये गये धन; (ख) किसी स्वीकृत विदेशी विलीय संस्था द्वारा भारत में किसी प्रीधोगिक उपक्रम को किसी श्राप-करार के प्रत्यांत उद्यार दिये गए धन पर ब्याज; श्रीर (ग) किसी प्रानिवासी द्वारा भारत में किसी श्रीधोगिक उपक्रम को भारत से बाहर कच्चे माल भगना पूँजी के रूप में संयंत तथा मर्गातरी श्राया भारत में श्रीधोगिक विकास के लिय उधार विये गये धन श्रथवा उधार सुविधाशों पर द्याज;

- (4) धारा 32ए --- जो जलपोतों, वायुवानों, ममीनरी प्रथव। संगंत के सम्बन्ध में निवेश छूट के बारे में है,
- (5) धारा 33ए ---जो चाय के पौधों के रोषण श्रथवा पुन: रोपण के लिये विकास छूट के बारे में है;
- (6) द्वारा 35सीसी--जो ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में है;
- (7) धारा 54ई -- जो पूंजीगत लाभों के बारे में है;
- (8) धारा 80एच एच--जो पिछड़े क्षेत्रों में नय स्थापित घौद्यांगिक उपक्रमों प्रथवा होटल व्यवसाय से लाभों घौर प्रभिक्षाभों के सम्बन्ध में कटौनी के बारे में है;
- (9) धारा 80 एच आई— जो कतिपय क्षेत्रों में नव स्थापित लघ् भीको गिक उपक्रमों से लाभों और प्रभिलाभों के सम्बन्ध में कटौती के बारे में है;
- (10) धारा 80जे---जो उपयुक्त श्रीक्रोगिक उपक्रमों श्रथवा जल पोतों ध्रथवा होटलों से लाभों श्रीर श्रभिलाभों के सम्बन्ध में.कटौती के बारे में है;
- (11) धारा 80के—जो उपयुक्त भीबोनिक उपक्रमों, श्रथवा, जलपोलों भ्रथवा होटलों सेलाभों भौर श्रभिलाभों के कारण देय लाभागों के सम्बन्ध में कटौती के सम्बन्ध में हैं;
- (12) धारा 80--जो कनियय प्रतिभृतियों, लामांगों स्नादि पर व्याज के सम्बन्ध में कटौती के बारे में है, स्नीर
- (13) कोई भी प्रत्य उपबन्ध जो कर में छूट प्रथम कभी करने के लिये बाद में श्रिधिनियमित किये जाये जिनके बारे में दोनों संविधाकारी राज्यों के कीच यह सहमति हो कि वै श्रीथिक विकास के प्रयोजनों के लिये है।
- 4. इस करार के उपबन्धों के धनुसार जिस बाय पर एक संविदा-कारी राज्य में कर नहीं लगाया जाना है, उसे, उस संविदाकारी राज्य में लगाये जाने वाले कर की दर की संगणना के लिये हिमाब में लिया जा सकेगा।

अस्पाय 5

विशेष उपवन्ध

जनुष्छेष २६

सम-व्यवहार

- 1. एक संविद्याकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर धूसरे संविद्याकारी राज्य में ऐसे किमी कराधान भयवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई भ्रपेक्षा लागू नहीं की जायेगी, जो उस कराधान से भ्रीर उन सम्बन्धित ध्रपेक्षाभ्रों से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।
- 2. एक संविदाकारी राज्य के उद्यम के, दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जायेगा जो उस दूसरे राज्य के, बैसी ही पिस्थितियों में वैसे ही कार्य में प्रवृत उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेकाइतंत कम अनुकूल हो।
- 3. इस अनुच्छेव में निष्ट्रित फिसीर भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि उससे एक संविदाकारी राज्य को, ऐसे व्यक्तियों को, जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं, कराधान के प्रयोजनों के लिये किसी भी प्रकार की वैयक्तिक छूटें, राहतें और कटौतियां प्रवास करने का श्रिष्ठिकार प्राप्त होता है जो कानूनम केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध है जो वहां के निवासी हैं,

4 एक संविधाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूर्णन प्रथवा भंगतः दूसरे संविधाकारी राज्य के एक ग्राथवा एक से प्रधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः श्रथवा प्रप्रत्यक्षत स्वासित्व ग्रथवा नियंत्रण में है, प्रथमीक्षत संविद्याकारी राज्य में कीई ऐसा कराधान ग्रथवा नत्सम्बन्धी ऐसी कोई ध्रपेक्षा लागू नहीं की जायगी, जो उस कराधान ग्रीर तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं से भिन्न ग्रथवा आधिक भारपूर्ण हों, जो उस प्रथमीक्त राज्य के ग्रन्थ वैसे ही उद्यमों पर वैसी ही परिण्यित्यों में लागू है श्रथव हो सकती है।

5. इस अनुज्छेद में "कराधान" शब्द का अर्थ उनहै करों से जो इस करार के विषय है।

अनुष्ठिष 27

पाइस्परिक करार कार्यविधि

1. जहां एक संविदाकारी राज्य का निवासी यह समझता

कि एक अथवा बोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण कराधान
लगाया जाता है अथवा लगाया जायेगा, जो इस करार के अनुकूल
नहीं है, तो वह इन राज्यों के राष्ट्रीय नियमों द्वारा उपक्षियत उपचारों
के होने हुए भी, जिस संविदाकारी राज्य का निवासी है, अपना मामल
उसके सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। यह मामला उम
कार्यवाही के नोटिस की प्राप्त की तारीख़ से तीन वर्ष के भीतर
अवस्य प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिससे ऐसे कराधान में बृद्धि होती
है जो करार के अनुसार नहीं है।

2. यदि सक्षम प्राधिकारी को श्रापित उजित लगे श्रीर यदि बहा स्वयं किसी उपर्युक्त हुल पर पहुंचने में श्रममर्थ हो तो, वह गेसे कराधान के निवारण की दृष्टि से, जी इस करार के सनुरुप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी की परस्पर सहमति द्वारा उस मामले को हुल करने का प्रयास करेगा। किये गये किसी भी क्रार को कार्यान्वित किया जायगा चाहे संविदाकारी राज्यों के राष्ट्रीय कानृनों में कोई भी समय-सीमा क्यों न हों।

3. इस करार की व्याख्या करने प्रथवा उसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइयां प्रथवा शंकाएं उत्पन्न हों तो मंविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने के प्रयान करेंगे। वे उन मामलों में बोहरे कराधान के श्रपाकरण के लिये परस्पर विभार-विमर्श कर सकते है जिनकी करार में व्यवस्था नहीं हैं।

4. पूर्वोक्त पैरों के अभिप्राय को लेकर सहमित के प्रयोजनार्थ सीववाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, एक-दूसरे के साथ मीधे पद्म व्यवहार कर सकते हैं। सहमत होने में जब विचारों का मौजिक आवान-प्रवान उचित प्रतीत होता हों तो ऐसे आवान-प्रवान किसी धायोग के माध्यम से किये जा सकते हैं, जिसमें सीववाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधि हो।

प्रमुक्छेर- 28

सूचना का श्रावान-प्रवान

1. संविद्याकारी राज्यों के सक्षम प्राप्तिकारी ऐसी सूचना प्रथवा वस्ताबेज का भादान-प्रवान करेंगे जो इस करार के उपबन्धों को कार्यान्थित करने के लिये प्रयक्ष उन करों के प्रपर्वचन को रोकने के लिये प्रावक्ष्य है, जो इस करार के विषय है। इस प्रकार प्रावान-प्रवास की गई सूचना प्रथवा दस्ताबेज को गुप्त समझा जायगा, लेकिन उसे ऐसे व्यक्तियों का (जिनमें न्यायालय प्रथवा घन्य प्राधिकारी शामिल है) प्रकट किया जा सकेगा, जो उन करों के निर्धारण, वसूली, प्रवर्तन, जांच-पहताल प्रथवा प्रभियोजन से सम्बन्धित हों, जो इस करार के विषय है प्रयक्त ऐसे व्यक्तियों को प्रकट किया जा सकेगा, जिनसे सूचना प्रथवा दस्तावेज का सम्बन्ध हो।

- 2 स्थान अथवा दरतालेका का भावान-प्रसान नेमी आक्षार पर क्षोगा प्रयक्षा विशेष मामले के संबर्ध में अनुरोध पर या दोनों ही प्रकार में किया जा सकेगा । मेमी प्राधार पर दी जाने वाली सूचना प्रथवा दस्तावेकों की मूर्चा के सम्बन्ध में संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के ममय-समय पर सहमित श्रावक्यक होगी।
- 3. किसी भी स्थिति मे पैरा । के उपबन्धों का वह धर्य नहीं लगाया जायेगा जिसस कि किसी सिवदाकारी राज्य पर निम्नलिखिन भार डाला जाये:
 - (क) एक भ्रथवा तूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों भ्रथवा प्रशासिक प्रथा से हट कर प्रशासिनक उपाय करना;
 - (ख) ऐसी सूचना प्रथवा दस्तावेज देना जो एक प्रथवा दूसरे सैविदाकारी राज्य की विक्षियों के घन्तर्गत प्रथवा प्रणासन की सामान्य स्थिति में प्राप्त नहीं है;
 - (ग) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना, जिससे कोई व्यापारिक व्यावसामिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा रोजगार सम्बन्धी गुप्त भेव अथवा व्यापारिक-प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रति-कृत हो।

ग्रमुक्छेब-29

राजनिवक ग्रीर शौंसलीय कार्य

प्रन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के प्रश्तर्गन प्रथवा विशेष करारों के प्रावधानों के प्रस्तर्गन इस करार से राजनियक प्रथवा कोंसलीय प्रधिकारियों के राज्य-कर विषयक विशेषाधिकारों में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

ग्रध्याय VI

उपसंहार

प्रमुच्छेद- ३०

प्रवर्त्तन

म इस करार का अनुसमर्थन संविदाकारी राज्यों द्वारा उनके अपने आन्तरिक विधान के अनुसार किया जायगा। अनुसमर्थन -दम्नावेजों का आवान-प्रदान यथा संभव शीघ्र दारेसलाम में किया जायेगा।

· 2. पुष्टीकरण के दस्तावेजों का आधान-प्रदान हो चुकने पर, यह करार:---

(क) भारत में :---

जिस कलेण्डर वर्ष में दस्तावेजों का श्रादान-प्रवान किया जाता है, उसके परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन ग्रायवा उसके बाद गुरु होने धाले किसी भी लेखा वर्ष में होने वाली श्राय के बारे में ;

(स्त्र) तंत्रानिया में ---

जिस कलेण्डर वर्ष में अनुसमर्थन-दस्तावेजों का धावान-प्रदान किया जाता है, उसके परवर्ती कलैण्डर वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन की धथवा उसके बाद णुरु होने वाले किसी भी वर्ष में होने वाली धाय के बारे में;

लागू होगा।

भन्रक्छेब-३१

समाप्ति

यह करार धनिश्चित काल तक लागू रहेगा, परस्तु काई भी मंत्रियाकारी राज्य, छठे वर्ष में प्रथया जिस कलैण्डर वर्ष में प्रत्ममर्थन के दस्तावेजों का धादान-प्रदान किया जाता है, उसके परवर्गी किसी कलिण्डर वर्ष में 30 जून, को धथवा उससे पहले, दूसरे संविदाकारी राज्य की समाप्ति का नोटिस दे सकेगा और वैसी स्थिति में यह करार :---

(क) भारत में:----

जिम कलैण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया गया हो, उसके ध्रगले परवर्ती दूसरे कलैण्डर वर्ष में श्रप्रैल मास के प्रथम दिन ध्रथवा उसके बाद गुरू होने वाले किसी कर-निर्धारण वर्ष के सम्बन्ध में कर लगने योग्य द्याय के बारे में :

(ख) तंत्रानिया में .---

जिस कलैण्डर वर्ष में समाप्ति का नोटिस दिया जाना है उसके अगले परवर्ती कलैण्डर वर्ष में जनवरी मास के प्रथम दिन अथवा उसके बाद शुरू होने वाले आय के य के सम्बन्ध में होने वाली आय के वारे में;

लागू नहीं रहेगा।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिये विधिवत प्राधिकृत श्रधोहस्ताक्षरियो नेइस करार पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ए० एम० गाँमाल्बम) (त्युगुई० प्राई० एम० म्ती ~ भारतकी सरकार की ग्रोर में तजानिया की मरकार की ग्रोर

(5 सितम्बर, 1979 को ह्रम्नाक्षरित करार औमा कि भारत सरकार के दिनांक 15-2-1980 के पन्न सं० डी० ए० ग्रार०/सी० भ्रो० एम०में 204/3/69नथा तंजानिया संस्कार के दिनाक 3-7-1980 के पन्न सं० टी० बाई० सी०/40/19/56 द्वारा संशोधित किया गया)।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 1981

INCOME-TAX

G.S.R. 559(E).—Whereas the annexed Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the United Republic of Tanzania for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income has been ratified and the instruments of ratification exchanged, as required by Article 30 of the said Agreement:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profit) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Agreement shall be given effect to in the Union of India.

(F. No. 501-18|73-FfD) R. R. KHOSLA, It. Secy.

ANNEXURE

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME.

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION

OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

The Government of the Republic of India and the Government of the United Republic of Tanzania,

Desiring to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,

Have agreed as follows:

CHAPTER I

SCOPE OF THE AGREEMENT

Article I

PERSONAL SCOPE

This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both the Contracting States,

Article 2

TAXES COVERED

- 1. The taxes to which this Agreement shall apply are:
 - (a) In the case of India:
 - the income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (2) the surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964): (hereinafter referred to as "Indian Tax").
 - (b) In the case of Tanzania: the income tax and any other tax deemed to be an income tax under the Income Tax Act, 1973 (hereinafter referred to as "Tanzania Tax").
- 2. The Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed by either Contracting State after the date of signature of the present Agreement in addition to or in place of, the taxes referred to in paragraph 1 of this Article.
- 3. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any significant changes which have been made in their respective taxation law, which are the subject of this Agreement and furnish copies of relevant enactments and regulations.

CHAPTER II

DEFINITIONS

Article 3

GENERAL DEFINITIONS

- 1. In this Agreement, unless the context otherwise requires:
 - (a) The term 'India' means the territory of India and includes the territorial sea and alispace above it as well as any other maritime zone referred to in the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones Act, 1976 (Act No. 80 of 1976), in which India has certain rights and to the extent these rights can be exercised therein as if such marltime zone is a part of the territory of India;
 - (b) The term "Tanzania" means the United Republic of Tanzania, including any area outside the territorial waters of Tanzania which, in accordance with international law, has been or may be designated, under the laws of Tanzania concerning the Continental Shelf, as an area over which Tanzania may exercise sovereign rights with respect to the exploration for and exploitation of natural resources;
 - (c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean India or Tanzania, as the context requires;
 - (d) the term "tax" means Indian tax or Tanzanian tax, as the context requires, but shall not include any amount which is payable in respect of any default or omission in relation to the taxes to which this Agreement applies or which represents a penalty imposed relating to those taxes;
 - (e) the term "person" includes individuals companies and all other entities which are treated as taxable units under the taxation laws in force is the respective Contracting States;
 - (f) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a company under the taxation laws in force in the respective Contracting States;
 - (g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean, respectively, an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
 - (h) the term "competent authority" means in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue); and in the case of Tanzania, the Minister responsible for Finance or his authorised representative;
 - (i) the term "nationals" means:
 - all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
 - (2) all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.
- 2. In the application of the provisions of this Agreement by one of the Contracting States, any term not defined herein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws in force in that State relating to the taxes which are the subject of this Agreement.

Article 4

FISCAL DOMICILE

1 For the purpose of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the

law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, residence, place of management or any other criterion of similar nature.

- 2. Where by reason of the provisions of paragraph 1, an individual is a resident of both Contracting States, then his residential status for the purposes of this Agreement shall be determined in accordance with the following rules:—
 - (a) He shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (hereinafter referred to as hig "centre of vital interests");
 - (b) If the Contracting State in which he has his centre of vital interests cannot be determined, or if he does not have a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;
 - (c) If he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national:
 - (d) If he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
- 3. Where by reason of the provisions of paragraph 1, a person other than an individual is a resident of both the Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

PERMANENT ESTABLISHMENT

- 1. For the purpose of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.
 - 2. The term "permanent establishment" shall include :
 - (a) a place of management;
 - (b) a branch:
 - (c) an office;
 - (d) a factory;
 - (c) a workshop;
 - (f) a mine, a quarry, an oil field or other place of extraction of natural resources;
 - (g) a farm, plantation or other place where agricultural, forestry, plantation or related activities are carried on:
 - (h) a building site or construction of assembly project or supervisory activities in connection therewith, where such site, project or supervisory activity continues for a period of more than six months.
- 3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:
 - (a) the use of facilities solely for the purpose of storage or display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
 - (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage or display;
 - (c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

- (d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or for collecting information, for the enterprise;
- (c) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information or for scientific research being activities solely of a preparatory or auxiliary character in the trade or business of the enterprise.
- 4. A person acting in a Contracting State for or on behalf of an enterprise of the other Contracting State—other than an agent of an independent status to whom the provisions of paragraph 5 apply—shall be deemed to be a permanent establishment of that enterprise in the first-mentioned State if:—
 - (i) He has and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts for or on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise; or
 - (11) he habitually maintains in the first-mentioned Contracting State a stock of goods or merchandise belonging to that enterprise from which he regularly fulfills orders on behalf of the enterprise.
- 5. An enterprise of a Contracting State shall not be deem ed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business. However, when the activities of such an agent are devoted wholly or almost wholly on behalf of that enterprise, he would not be considered an agent of an independent status within the meaning of this paragraph.
- 6. The fact that a company, which is a resident of a Contracting state controls or is controlled by a Company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other Contracting State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not, of itself, constitute for either company a permanent establishment of the other.
- 7 An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State it it carries on a business which consists of providing the services of public entertainers (such as theatre, motion picture, radio or television artistes and musicians) or athletes in that other Contracting State unless the enterprise is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the first-mentioned Contracting State in connection with the provision of such services.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

Article 6

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY

- 1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
- 2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law and usage of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, ollwells, quarries and other places of extraction of natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
- 3 The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

_ =-_=-

Article 7

BUSINESS PROFITS

- 1. The profits of an enterprise of a Contracting State sholl be taxable only in that Contracting State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other Contracting State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
- 2. If an enterprise of a Contracting State, which has a permanent establishment in the other Contracting State, sells goods or merchandise of the same or similar kind as those sold by the permanent establishment or renders services of the same or similar kind as those rendered by the permanent establishment, the profits of such activities may be attributed to the permanent establishment unless the enterprise proves that such sales or services are not attributable to the activity of the permanent establishment.
- 3. Where an enterprise of a Contracting State carries on bus ness in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment. In any case, where the correct amount of profits attributable to a permanent establishment is incapable of determination or the ascertainment thereof presents exceptional difficulties, the profits attributable to the permanent establishment may be estimated on a reasonable basis.
- 4 In so far as it has been customary in a Contracting State to determine the profits to be attributed to a permanent establishment on the basis of an apportionment of the total profits of the enterprise to its various parts, nothing in paragraph 3 shall preclude that Contracting State from determining the profits to be taxed by such an apportionment as may be customary; the method of apportionment adopted shall, however, be such that the result shall be in accordance with the principles laid down in this Article.
- 5. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the business of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere, but this does not include any expenses which, under the law of that State, would not be allowed to be deducted by an enterprise of that State
- 6. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
- 7. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
- 8 The term 'business profits' means income derived by an enterprise from the carrying on of business but does not include income in the form of tents, royalties fincluding tents or royalties in respect of cinematographic films or video tapes for television) fees for technical services, management charges, or remuneration or fees for providing services of technical or other personnel, interest, dividends, capital gains remuneration for labour or personal (including professional) services or income from the operation of ships or aircraft.

Article 8

AIR TRANSPORT

- 1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.
- 2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall also apply to a share of profits from the operation of aircraft in international traffic derived by an enterprise of a Contracting State through participation in a pooled service, in a joint air transport operation or in an international operating agency.
- 3. For the purposes of paragraph 1, interest on funds directly connected with the operation of aircraft in international traffic shall be regarded as income from the operation of such aircraft, and the provisions of Article 12 shall not apply in relation to such interest.

Article 9

SHIPPING

- 1. Income of an enterprise of one of the Contracting States derived from the other Contracting State from the operation of ships in international traffic may be taxed in that other Contracting State, but the tax chargeable in that other Contracting State on such income shall be reduced by an amount equal to 50 per cent of such tax.
- 2. For the purposes of paragraph 1 of this Article, income derived from the other Contracting State from the operation of ships shall mean income from the carriage of passengers, mail, livestock, or goods shipped in that other Contracting State.
- 3. Paragraph I shall not apply to profits ausing as a result of coastal traffic.

Article 10

ASSOCIATED ENTERPRISES

Where

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would have accrued to one of the enterprises, then any profits which would have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and tax accordingly.

Article 11

DIVIDENDS

- 1. Dividends paid by a company which is resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed:
 - (a) 10 per cent of the gross amount of the dividends if the recipient is a company which owns at least 10 per cent of the shares of the company paying the dividends during the period of six months immediately preceding the date of payment of the dividends;

- (b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.
- 3. The term "dividends" as used in this Article means income from shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from other corporate lights assimilated to income from shares or any other item which is deemed to be a dividend or distribution of a company by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein and the holding in respec of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment of fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.
- 5. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the Company to persons who are not resident of that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in that other State.

Article 12

INTEREST

- 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 12-1/2 per cent of the gross amount of the interest.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State and paid to the Government of the other Contracting State Bank or local authority thereof, the Central Bank of that other Contracting State, or any agency wholly owned by that Governmen or local authority shall be exempt from tax of the first-mentioned Contracting State.

The competent authorities of the Contracting States may determine by mutual agreement any other governmental institution to which this paragraph shall apply.

- 4. The term "interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortage and whether or not carrying a right to participate in profits, and other debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the Contracting State in which the income arises.
- 5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.
- 6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the prayer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by that permanent establishment, then

such interest shall be deemed to arise in the Contracting. State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

ROYALTIES

- 1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arisen, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed 20 per cent of the gross amount of the royalties.
- 3. The term "royalties" as used in this Article means payment, of any kind received as a consideration for the use of or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work (including cinematograph films, and films or tapes for radio or television broadcasting), any patent, trade mark design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of Article 7 or Article 16, as the case may be, shall apply.
- 5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arisen in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- 6. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provision of this Agreement.

Article 14

CAPITAL GAINS

- 1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.
- 2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent est blishment which an enterprise of a Contracting State has in the other

- Contracting State or of movable property pertaining to a fixed base available to a resident of a Contracting State in the other Contracting State for the purpose of performing professional services, including such gains from the alienation of such permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) or of such a fixed base, may be taxed in that other State.
- 3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, gains by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships and aircraft which it operates in international traffic and movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that State.
- 4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of any property other than those mentioned in paragraph 1, 2 and 3 shall be taxable only in that State.
- 5. The term "alienation" means the sale, exchange, transfer or relinquishment of the property or the extinguishment of any rights therein or the compulsory acquisition thereof under any law in force in the respective Contracting States.

Article 15

MANAGEMENT FEES

- 1. Management or professional fees arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
- 2. However, such management or professional fees may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but the tax so charged shall not exceed twenty per cent of the gross amount of the management or professional fees.
- 3. The term "management or professional fees" as used in this Article means payments of any kind to any person, other than to an employee of the person making the payments, in consideration for any services of a managerial, technical or consultancy nature.
- 4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the management or professional fees, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the management or professional fees arise, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State professional services from a fixed base situated therein, and the right or property in respect of which the management or professional fees are paid, is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such a case, the provisions of article 7 or article 16, as the case may be, shall apply.
- 5. Management or professional fees shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that Contracting State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State. Where, however, the person paying the management or professional fees, whether he is a resident of that State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the management, or professional fees was incurred and such management or professional fees are borne by such permanent establishment, then such management or professional fees shall be deemed to arise in the Contracting State in which the permanent establishment is situated.
- 6. Where, owing to a special relationship between the payer, and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the management or professional fees paid having regard to the services for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship the provisions of this Article shall apply only to the last mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 16

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Subject to the provisions of Article 15, income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless:—
 - (a) he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting States for the purpose of performing his activities, in which case so much of the income may be taxed in that other State as is attributable to that fixed base; or
 - (b) he is present in the other Contracting State for the purpose of performing his activities for a period or periods exceeding in the aggregate 183 days in the relevant year of income and in which case so much of the income may be taxed in that, other State as is attributable to the activities performed in that other State.
- 2. The term "professional services" includes independent scientific, literary, artistic, educational or teaching activities, as well as the independent activities of physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and accountants.

Article 17

DEPENDENT PERSONAL SERVICES

- 1. Subject to the provisions of Articles 18, 19, 20, 21, 22 and 23, salaries, wages and other similar remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised such remuneration as is derived there-from may be taxed in that other State.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first mentioned State if:
 - (a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in the relevant year of income, and
 - (b) the remuneration is paid by or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and
 - (c) the remuneration is not borne by a permanent establishment or fixed base which the employer has in the other State.
- 3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercise aboard a ship or aircraft in international traffic, may be taxed in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 18

DIRECTOR'S FEFS

Directors' fees and similiar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other Contracting State.

Article 19

ARTISTES AND ATHLETES

It Notwithstanding the provisions of Articles 16 and 17, income derived by public entertainers (such as theatre, motion pleture, radio or television artistes and musicians) or athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised:

Provided that such income shall not be taxed in the said Contracting State if the visit of the public entertainers or athletes to that State is directly or indirectly supported, wholly or substantially, from the public funds of the Government of the other Contracting State.

2. For the purposes of this Article, the term 'Government' includes a State Government, a political sub-division, or a local or statutory authority of either Contracting State.

Article 20

GOVERNMENT FUNCTIONS

- 1. Remuneration (not being a pension) paid by the Government of a Contracting State to any individual who is a citizen of that State in respect of services rendered in the discharge of governmental functions in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned Contracting State.
- 2. Any pension paid by the Government of one of the Contracting States to any individual may be taxed in that Contracting State.
- 3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remumeration and pensions in respect of services rendered in connection with any business carried on by the Government of either of the Contracting States for the purposes of profit.
- 4. For the purposes of this Article, the term "Government" shall include any State Government or local or statutory authority of either Contracting State and in particular the Reserve Bank of India and the Bank of Tanzania.

Article 21

NON-GOVERNMENT PENSIONS AND ANNUITIES

- 1. Any pension (other than a pension referred to in Article 20) or annuity derived by a resident of a Contracting State from sources within the other Contracting State may be taxed only in the first-mentioned Contracting State.
- 2. The term "pension" means a periodic payment made in consideration of services rendered in the past or by way of compensation for injuries received in the course of performance of services.
- 3. The term "annuity" means a stated sum payable periodically at stated times, during life or during a specified or ascertainable period of time, under an obligation to make the payments in return for adequate and full consideration in money or money's worth.

Article 22

STUDENTS AND APPRENTICES

- 1. A student or business apprentice who is or was immediately before visiting a Contracting State a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned Contracting State solely for the purpose of his education or training, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on:
 - (a) payments made to him by persons residing outside that first-mentioned Contracting State for the purpose of his maintenance, education or training; and
 - (b) remuneration from employment in that first-mentioned Contracting State. In an amount not in excess of Rs. 10,000 or its equivalent in Tanzania currency during any "previous year" or the "year of income", as the case may be, provided that such employment is directly related to his studies or is undertaken for the purpose of his maintenance
- 2. The benefits of this Article shall extend only for such period of time as may be reasonably or customarily required to complete the education or training undertaken, but in

no event shall any individual have the benefits of this Article for more than three consecutive years from the date of his first arrival in the first-mentioned Contracting State.

Article 23

PROFESSORS AND TEACHERS

- I. A professor or teacher who visits a Contracting State for the purpose of teaching or engaging in research, or both, at a university, or other approved educational institution in that Contracting State and who is, or was immediately before such visits, a resident of the other Contracting State, shall be exempt from tax in the first-mentioned Contracting State on any remuneration for such teacheing or research for a period not exceeding 24 months from the date of his arrival in that Contracting State.
- 2. This Article shall not apply to income from research if such research is undertaken primarily for the private benefit of a specific person or persons.
- 3. For the purposes of this Article and Article 22, and individual shall be deemed to be a resident of a Contracting. State if he is resident:
 - (i) in the case of India, in the "previous years", and
 - (11) in the case of Tanzania, in the "year of income" in which he visits the other Contracting State or in the immediately preceding "previous year" or "year of income", as the case may be.
- 4. For the purposes of paragraph 1, "approved enducational institution" means an institution which has been approved in this regard by the competent authority of the concerned Contracting State.

Article 24

INCOME NOT EXPRESSLY MENTIONED

Items of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement in respect of which he is subject to tax in that State shall be taxable only in that State.

CHAPTER IV

METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION

Article 25

AVOIDANCE FOR DOUBLE TAXATION

- 1. The laws in force in either of the Contracting States will continue to govern the taxation of income in the respective Contracting States except where provisons to the contrary are made in this Agreement.
 - 2. (a) The amount of Tanzanian tax payable, under the laws of Tanzania and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of India, in respect of income from sources within Tanzania which has been subjected to tax both in India and Tanzania, shall be allowed as a credit against the Indian tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed Indian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within Tanzania; so, however, that where such resident is a company by which surtax is payable in India, the credit aforesaid shall be allowed in the first instance against income tax payable by the Company in India and as to the balance, if any, against surtax payable by it in India;
 - (b) For the purposes of the credit referred to in subparagraph (a) above, the term "Tanzania tax payable" shall be deemed to include any amount which

- would have been payable as Tanzania tax for any year but for-
- (i) any exemption from tax on interest granted under paragraph 1 of the First Schedule, Part II of the Income Tax Act, 1973; or
- (ii) any investment deduction granted under paragraphs 24, 25 and 26 of the Second Schedule to the Income Tax Act, 1973; or
- (iii) the lower corporation rate of income tax provided by paragraph 4(b) of the Third Schedule to the Income Tax Act, 1973; or
- (iv) any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the Contracting States agree to be for the purpose of economic development.
- 3. (a) The amount of Indian tax payable, under the laws of India and in accordance with the provisions of this Agreement, whether directly or by deduction, by a resident of Tanzania in respect of income from sources within India which has been subjected to tax both in India and Tanzania shall be allowed as a credit against Tanzania tax payable in respect of such income provided that such credit shall not exceed the Tanzanian tax (as computed before allowing any such credit), which is appropriate to the income derived from sources within India;
- (b) For the purposes of the credit referred to in subparagraph (a) above, the term "Indian tax payable" shall be deemed to include any amount by which Indian tax has been reduced by the special incentive measures set forth in the following sections of the Income-tax Act, 1961:
 - (i) Section 10(4)—relating to exemption from tax on interest payable to a non-resident on any security notified by the Government of India;
 - (ii) Section 10 (4A)—relating to exemption from tax on interest payable to a non-resident on moneys in a Non-resident (External) Account;
 - (iii) Section 10(15)(iv)—relating to exemption from tax of (a) non-resident in respect of moneys lent by him to the Government or local authority in India; (b) an approved foreign financial institution in respect of interest on moneys lent by it to an industrial undertaking in India under a loan agreement; and (c) a non-resident in respect of interest on moneys lent or credit facilities allowed by him to an industrial undertaking in India for the purchase outside India of raw materials or capital plant and machinery or for industrial development in India:
 - (iv) Section 32 A—relating to investment allowance in respect of ships, air-crafts, machinery or plant;
 - (v) Section 33A—relating to development allowance for planting or replanting of tea bushes;
 - (vi) Section 35CC—relating to the rural development allowance;
 - (vii) Section 54E-relating to capital gains;
 - (viii) Section 80HH—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established industrial undertakings or hotel business in backward areas;
 - (ix) Section 80HHA—relating to deduction in respect of profits and gains from newly established small scale industrial undertakings in certain areas;
 - (x) Section 80J—relating to deduction in respect of profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels;
 - (xi) Section 80K—relating to deduction in respect of dividends attributable to profits and gains from eligible industrial undertakings or ships or hotels;
 - (xii) Section 80L—relating to deduction in respect of interest on certain securities, dividends, etc., and

- (xiii) Any other provisions which may subsequently be enacted granting an exemption or reduction of tax which the competent authorities of the contracting states agree to be for the purposes of economic development.
- 4. Income which, in accordance with the provisions of this Agreement is not to be subjected to tax in a Contracting State, may be taken into account for calculating the rate of tax to be imposed in that Contracting State.

CHAPTER V SPECIAL PROVISIONS

Article 26

NON-DISCRIMINATION

- 1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burden some than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.
- 2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levled in that other State than the taxation levled on enterpises of that other State carrying on the same activities in the same circumstances.
- 3. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to persons not resident in that State any personal allowances, reliefs and reductions for taxatlon purposes which are by law available only to persons who are resident.
- 4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one of more resident of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned Contracting State to any taxation or any requirement connected there with which is other or more burden some than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected in the same circumstances.
- 5. In this Article, the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 27

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

- 1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident. This case must be presented within three years of the date of receipt of notice of the action which gives rise to taxation not in accordance with the Agreement.
- 2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting States.
- 3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement. They may also consult together for the climination of double taxation in cases not provided for in the Agreement.
- 4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of

reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to each agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

Article 28

EXCHANGE OF INFORMATION

- 1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information or document as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of evasion of taxes which are the subject of this Agreement. Any information or document so exchanged shall be treated as secret but may be disclosed to persons (including a court or other authorities) concerned with the assessment collection, enforcement, investigation or prosecution in respect of the taxes which are the subject of this Agreement, or to persons with respect to whom the information or document relates.
- 2. The exchange of information or documents shall be either on a routine basis or on request with reference to particular case or both. The competent authorities of the Contracting States shall agree from time to time on the list of the information or documents which shall be brinished on a routine basis.
- 3. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation;
 - (a) to carry out administrative measures at variance with the laws or administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - (b) to supply information or documents which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - (c) to supply information or documents which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process or information the disclosure of which would be contrary to public policy.

Article 29

DIPLOMATIC AND CONSULAR ACTIVITIES

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI FINAL PROVISIONS

Article 30 ENTRY INTO FORCE

- 1. The present Agreement shall be ratified by the Contracting States according to their own internal legislation.
- 2. The instruments of ratification shall be exchanged at Dar-es-Salam as soon as possible.
- 3. Upon exchange of the instruments of ratification, the present Agreement shall have effect—
 - (a) in India, in respect of income arising in any year of account commencing on or after the 1st day of January following the calendar year in which the instruments are exchanged;
 - (b) in Tanzania, in respect of income arising for any year of income commencing on or after the 1st day of January following the calendar year in which the instruments of ratification are exchanged.

Article 31

TERMINATION

This Agreement shall continue in effect indefinitely but either of the Contracting States may on or before the 30th of June in the sixth or any subsequent calendar year following the calendar year in which the exchange of instruments of ratification takes place, give to the other Contracting State notice of termination and in such event this Agreement shall cease to have effect—

- (a) in India, in respect of income assessable for any year of assessment commencing on or after the first day of April in the second calendar year next following the calendar year in which the notice of termination is given;
- (b) in Tanzania, in respect of income arising for any year of income commencing on or after the first day of January in the calendar year next following

the calendar year in which the notice of termination is given.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Dar-es-Salaam this Fifth day of September one thousand nine hundred and seventy nine in English language.

(A. S. Gonsalves)

For the Government of India

(Ndugu E.I.M. Mtsi)

For the Government of Tanzania.

(Agreement signed on 5-9-1979 as amended by Government of India's letter No. DAR|COM|204|3|69 dated 15-2-1980 and the Government of Tanzania's letter No. TYC|40|19|56 dated 3-7-1980).

•	